



GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate of Elementary Education
निदेशालय मौलिक शिक्षा

Directorate of Elementary Education / निदेशालय मौलिक शिक्षा

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana-134109(India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: प्लॉट नं 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
www.harprathmik.gov.in | www.schooleducationharyana.gov.in

आदेश क्रमांक 2/36-2012 एच.आर.एम-1(1)

दिनांक 29.01.2013

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला के पत्रांक एच.एस.एस.सी./गोपनीय/सिफारिश/ 2010/12 दिनांक 06.06.12 एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक 2/36-2012 एच.आर.एम-1(1) दिनांक 16.11.2012, 23.11.2012, 29.11.2012 तथा 03.12.12 की निरन्तरता में निम्नलिखित नव चयनित सामाजिक अध्ययन अध्यापक उम्मीदवारों को हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (समूह- 'ग') सेवा नियम, 2012 के तहत वेतन समूह (9300-34,800) रुपये + 4600/-रुपये मानक (ग्रेड) वेतन + निर्धारित भत्ते जोकि हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जाते हैं, के अनुसार निम्नवर्णित शर्तों एवं नियमों के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है:-

| Sr. No. | Merit No. | Roll No. | Employee ID | Name, Fathers Name and address | Category DoB Gender | Place of posting |
|---------|-----------|----------|-------------|--|--------------------------|--|
| 1. | 20 | 4637 | 095777 | Manoj Sharma S/o Ramniwas Sharma, Hasi Nagar, Rohtak Road, in Front of Brahma Kumaris Ashram, Ch. Dabri, Bhiwani | General 12/11/1979 M | To be posted as ABRC in SSA |
| 2. | 371 | 15350 | 095742 | Savitri S/o Rohtak Rd, H.No. 2504/1 Nandan House, Ambala | SC 10/08/1980 F | GSSS Bhurewala (Ambala) [15] Against Vacancy |

नियम व शर्तें

1. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी एवं अनियमित प्रकृति की है।
2. यह नियुक्ति अस्थायी पद के विरुद्ध है। इस पद की पुष्टि अभ्यर्थी की वरीयता व उसके सेवाकालीन प्रदर्शन तथा पद की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।
3. अभ्यर्थी को भारत के संविधान की अनुपालना की शपथ लेनी होगी।
4. अभ्यर्थी, यदि विवाहित है, को नियुक्ति के समय एक जीवित पति/पत्नी का प्रमाण पत्र देना होगा।
5. इस आदेश को किसी भी प्रकार की वरीयता निर्धारण का आधार नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों की वरीयता विभागीय नियमों व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

Office: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: प्लॉट नं 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253

6. अभ्यर्थी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा। इस परिवीक्षा अवधि को सक्षम अधिकारी द्वारा, यदि आवश्यक हुआ, एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
7. अभ्यर्थी यदि आरक्षित श्रेणी का है तो उसकी नियुक्ति उसके आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग ए व बी या भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग आदि) के दावे के सत्यापन के अनुसार ही होगी। यदि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा दिये गए प्रमाण पत्र झूठे या जाली हैं तो उसकी सेवायें बिना किसी कारण को दर्शाते हुए समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त वह भारतीय दण्ड संहिता व अन्य संबंधित विधि विधानों के अनुसार सजा का पात्र भी होगा।
8. अभ्यर्थी अपने निर्धारित पद पर नियुक्ति लेते समय संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों को जमा कराएगा। संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी निर्धारित योग्यताएं रखता है एवं उसके मूल प्रमाण पत्र फोटो प्रतियों से मेल खाते हैं।
9. अभ्यर्थी नियुक्ति के समय संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपना चिकित्सा परीक्षण कराने के बाद संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
10. अभ्यर्थी की सेवायें हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (समूह ग) सेना नियम, 2012 द्वारा शासित होंगी।
11. यदि अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के अस्थायीकाल के दौरान पद त्याग करना चाहता है तो उसे एक महीने का स्पष्ट नोटिस या इसके बदले में सभी भत्तों सहित एक महीने का वेतन या एक महीने के नोटिस में दिनों की कमी के बराबर भत्तों सहित वेतन को जमा करवाएगा बशर्ते सेवा नियमों की अन्य शर्तें पूरी होती हों। इस प्रकार के नोटिस सरकार द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को भी जारी किये जा सकेंगे जिनसे उनकी भत्तों सहित एक महीने का वेतन या एक महीने से कम दिनों, जितने नोटिस देने के लिए आवश्यक थे, का भत्तों सहित वेतन वसूली के लिए आवश्यक है।
12. इस नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र उनके द्वारा सम्मिलित शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों के आधार पर जारी किये गए हैं। अतः उनकी नियुक्ति मूल दस्तावेजों के सत्यापन की शर्त अनुसार है। यदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान या पश्चात यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी के द्वारा ली गई नियुक्ति का आधार उसके द्वारा जमा करवाये गए झूठे या जाली प्रमाण पत्र या असत्य सूचना या तथ्य के आधार पर है तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस या सूचना के समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसार भी विहित दण्ड का भागी होगा।

14. अन्य मामलों में जो कि यहां वर्णित नहीं है, अभ्यर्थी हरियाणा सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू सिविल सेवा नियमों व सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों व दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होगा।
15. ऐसे अभ्यर्थी जो सामाजिक अध्ययन अध्यापक के पद पर नियुक्ति लेंगे इनकी नियुक्ति इस शर्त पर होगी की यदि उनके चरित्र एवं सत्यापन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की गलत रिपोर्ट पाई जाती है तो उनकी सेवाएं बिना किसी नोटिस दिए समाप्त कर दी जाएगीं। उनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, जो कि संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा।
16. प्रशिक्षु उम्मीदवारों का वेतन सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अदा किया जायेगा।

अश्वनी कुमार
अतिरिक्त निदेशक शिक्षा
निदेशालय मौलिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक

आदेश की प्रति निम्न को सूचना के माध्यम से अधिसूचना के माध्यम से प्रेषित की जाती है।


- 1) महालेखाकार हरियाणा, पंचकुला।
- 2) निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला।
- 3) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकुला।
- 4) सचिव, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला को उनके पत्र क्रमांक एच.एस.एस. सी./गोपनीय/सिफारिश/2012/332 दिनांक 08.06.12 के संदर्भ में।
- 5) सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को अभ्यर्थी का आवेदन पत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेज जो कि उसके द्वारा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को जमा करवाये गए थे, सत्यापन हेतु संलग्न किये जाते हैं व अभ्यर्थी की नियुक्ति से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा सम्मिलित कराये गए दस्तावेज पूर्ण रूप से सही हैं व अभ्यर्थी के पद के विभागीय सेवा नियमों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी शैक्षिक, अनुभव, निवास, आयु, श्रेणी/ जाति इत्यादि से संबंधित सही व पूर्ण दस्तावेज रखता है तथा तदनुसार वह पद धारण करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। यदि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को यह मालूम होता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या झूठे या जाली हैं तो उसे इसका संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही निदेशालय के ध्यान में लाते हुए आरम्भ कर देनी चाहिए।

संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी लेंगे जो कि अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में रखा जाएगा। उनको यह भी आदेश दिया जाता है कि वह नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी का चरित्र व पूर्ववृत सत्यापन भी समयबद्ध ढंग से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में रखे जाएं। अभ्यर्थी की यह व्यक्तिगत पंजिका जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ही बनाई व रखी जाए। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में नियुक्ति के लिए नहीं पहुँचते है उनकी सूचना जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी निदेशालय को नियुक्ति की अवधि समाप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर-अन्दर देना सुनिश्चित करेंगे।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सभी सामाजिक अध्ययन अध्यापकों का चरित्र व पूर्ववृत को सत्यापन संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रक्रिया के इस अंग का विशेष ध्यान रखा जावे। यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध उसके चरित्र सत्यापन बारे गलत रिपोर्ट पाई जाती है तो संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इस बारे तीन दिन के अन्दर-अन्दर विशेष बाहक के माध्यम से मुख्यालय को सूचित करेंगे।

- 6) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य/मुख्य अध्यापक (संस्था अध्यक्ष) को इस निर्देश के साथ कि वह अभ्यर्थी को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति के संबंध में प्राप्त दिशानिर्देशों के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायेगा। अभ्यर्थी की नियुक्ति की रपट को संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में लगाने हेतु भेजी जाएगी। अभ्यर्थी की सेवा प्रतिस्थापन सेवा नियमों के अनुसार अच्छी प्रकार से तैयार कर ली जावे।
- 7) संबंधित अभ्यर्थी।
- 8) निजी सचिव/मुख्यमंत्री
- 9) निजी सचिव/शिक्षा मंत्री
- 10) निजी सचिव/वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा।
- 11) तकनीकी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (स्थानीय)।
- 12) सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी।


 उप-निदेशक, मास्टर
 कृते: निदेशालय मौलिक शिक्षा,
 हरियाणा, पंचकुला

476 (IT cell)
28/2/13

DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Order No. 20/14-2013 HRL (1) Dated Panchkula, the 27.02.13

Smt. Kiran Kumari, Lecturer in Political Science, Govt. Senior Secondary School, Jatal (Panipat) is hereby granted child care leave w.e.f. 14.02.2013 to 26.05.2013 as per F.D. letter No. 11/102/2009-3FR dated 05.02.2010 and F.D. letter No. 11/102/2009-3FR dated 05.11.2012.

**VIKAS YADAV
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. Even

DATED, PANCHKULA, THE

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Panipat w.r.t their Memo No. E-1-13/6097 dated 12.02.2013.
2. Principal, Govt. Senior Secondary School, Jatal (Panipat).
3. Official Concerned.

IT cell

28/2/13
**SUPERINTENDENT HRL
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

475(ET/11)
28/02/13

**HARYANA GOVERNMENT
EDUCATION DEPARTMENT
ORDER**

Sanction is accorded to the re-imbusement of Medical Charges amounting to ₹ 98500 /- (Rs. Ninty Eight Thousand and Five Hundred only) to Sh. Jai Parkash, Lecturer in Commerce, Govt. Girls. Sr. Sec. School, Meham (Rohtak) as noted treatment of her Father at Sarvodya Hospital, Faridabad on the advice of authorized Medical Attendants:-

| Sr. No. | Name of Claimant | Amount | Relation with Patient | Period of Treatment |
|---------|---|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Sh. Jai Parkash Lecturer in Commerce, Govt. Girls. Sr. Sec. School, Meham (Rohtak) | ₹ 98500/- | Father | 27/06/2011 to 29/06/2011 |

(Rs Ninty Eight Thousand and Five Hundred Only)

1. The re-imbusement of Medical Charges has been sanctioned under the Punjab/Haryana Services (Medical Attendants) Rules, 1940.
2. It has been certified by the authorized Medical Attendant that the Medicines prescribed by them was absolutely essential for treatment and recovery of the Patient and that no cheaper substitute was possible.
3. The Head of Account to which the expenditure is debitable may be intimated direct to the Accountant General (Accounts) Haryana, Chandigarh.

18/02/2013
Panchkula

**VIKAS YADAV
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO 12/93-12 HRL (3)

DATED, PANCHKULA, THE 26.2.13

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rohtak with ref. to his/her Memo No. E-2-12/1310 dated 09/11/2012. The original Medical Bill and vouchers are attached herewith.
2. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. Principal, Govt. Girls. Sr. Sec. School, Meham (Rohtak)
4. Sh. Jai Parkash Lecturer in Commerce, Govt. Girls. Sr. Sec. School, Meham (Rohtak)
5. Superintendent Budget Branch (Local).
- ✓ 6. Technology Officer (IT Cell)

**SUPERINTENDENT HRL
for DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**